प्र0 सं0 04/15
सरकार बनाम अशोक कुमार
धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

6/10/15

तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रवर्तन अधिकारी अभियोजन द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया कि दिनांक 28.08.2015 को दूरभाष पर चूनावढ़ कोठी में अवैध रूप से डीजल की बिक्री की सूचना मिलने पर जांच हेतु पहुंचा। वक्त जांच चूनावढ़ कोठी बस स्टैण्ड पर स्थित एक दुकान में 3 ड्रम रखे मिले। दुकान में वेदप्रकाश पुत्र श्री रामनाथ जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 5 चूनावढ़ उपस्थित मिला। उसने बताया कि दुकान का मालिक अशोक कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 5 चूनावढ़ है, वो तो दुकान पर कार्य करता है। वक्त जांच वेद प्रकाश ने बताया कि ड्रमों में डीजल है। दुकान के निरीक्षण में एक रजिस्टर रखा मिला। इस रजिस्टर में डीजल बिक्री का हिसाब–किताब लिखा है। दुकान में रखे ड्रमों में नापने पर कुल 500 लीटर डीजल होना पाया। इसके अलावा दुकान में एक हस्तचलित लोहे का पम्प, 6 नाप (5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर के दो–दो), व एक लोहे की कीप रखे पाये। दुकान में रखे साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि दुकानदार द्वारा डीजल बिक्री का काम किया जा रहा है। दुकानदार से डीजल बिक्री से संबंधित कोई अनुज्ञा पत्र या अनुमति पत्र मांगा तो ऐसा कोई कागजात उसके पास नहीं होना पाया। दुकानदार द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र या अनुमति पत्र के डीजल की अवैध बिक्री करना पाये जाने के कारण दुकान में रखा पाया गया 500 लीटर डीजल मय 3 लोहे के ड्रम व एक हस्तचलित लोहे का पम्प, 6 नाप (5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर के दो–दो) व एक लोहे की कीप जब्त कर श्री मिठुसिंह पुत्र श्री करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 23 जीजी, चूनावढ़ कोठी की सुपुर्दगी में दिया व दुकान में पाया रजिस्टर वजह सबूत स्वयं के कब्जे में लिया। फर्द मौका/जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। जाचं से स्पष्ट है कि अशोक कुमार वगैरह द्वारा बिना वैध कागजात के डीजल का विक्रय व भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडटक्स (लाईसेन्सिंग एवं कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के क्लॉज 3(1) की स्पष्ट अवहेलना की है। जब्त 500 लीटर डीजल मय 3 ड्रम व एक हस्तचलित लोहे का पम्प, 6 नाप (5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर के दो–दो) व एक लोहे की कीप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सतीश गोसाईं एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व जवाब तथा साक्ष्य पेश किया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। विभागीय पैरोकार की बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर आधारित रही। वकील अप्रार्थी का कथन है कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही बहस समायत माना जाये। जवाब में कथन है कि अप्रार्थी के नाम से डीजल बैरल प्वाइंट का अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ है जो वर्ष 2015 में निरस्त किया गया है और वह सामान दुकान में पड़ा था परन्तु डीजल का बेचान नहीं किया जा रहा था। दुकान इसलिये खुली हुई थी कि कई काश्तकारों से बकाया वसूली आनी थी। अप्रार्थी के पास 03 गाड़िया हैं व चक 26, 27 जी.जी. में कृषि भूमि भी है, गाड़ियों में व ट्रेक्टर में उपयोग हेतु डीजल रखा हुआ था। कार्यवाही समाप्त की जावे व डीजल वापिस लौटाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रतियां व कृषि भूमि

की जमाबन्दी की प्रति पेश की है लेकिन अप्रार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त होने के पश्चात बिना अनुज्ञा पत्र या अनुमति पत्र के 500 लीटर डीजल का भण्डारण नहीं किया जा सकता। दुकान के निरीक्षण के दौरान एक रजिस्टर रखा मिला है इस रजिस्टर में डीजल बिक्री का हिसाब–किताब लिखा है। अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि रजिस्टर संधारित क्यों किया जा रहा था जबकि अनुज्ञा पत्र खारिज था। यह तर्क भी माने जाने योग्य नही है कि दुकान इसलिये खुली थी चूँकि लोगों से पुरानी वसूली करनी थी। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये भी कोई गवाह पेश नहीं किया गया है न ही परीक्षित करवाया गया है। अप्रार्थी द्वारा कृषि कार्य हेतु डीजल कहां से क्रय किया उसके बिल भी पेश नहीं किये हैं। उक्त विवेचन के आधार पर अशोक कुमार द्वारा बिना वैध कागजात के डीजल का विक्रय व भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडेक्स (लाईसेन्सिंग एवं कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के क्लॉज 3(1) की स्पष्ट अवहेलना की है।

अतः जब्त 500 लीटर डीजल मय 3 ड्रम व एक हस्तचलित लोहे का पम्प, 6 नाप (5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर के दो–दो) व एक लोहे की कीप को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्री गंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्री गंगानगर